भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2674
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की अंतरराज्यीय तस्करी

†2674. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें हरियाणा को पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तथा पर्वतीय राज्यों के बीच मादक पदार्थों की अंतरराज्यीय तस्करी के एक प्रमुख पारगमन मार्ग के रूप में चिह्नित किया गया है;
(ख) गत दस वर्षों के दौरान हरियाणा में हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स तथा मनःप्रभावी पदार्थ सहित जब्त किए गए मादक पदार्थों की जिला-वार मात्रा क्या है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान हरियाणा में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत जिला-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं, कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं;
(घ) क्या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने हरियाणा से होकर संचालित होने वाले किसी प्रमुख तस्करी गलियारे, राजमार्गों अथवा मादक पदार्थ संगठित अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क की पहचान की है; और
(ङ) हरियाणा के प्रमुख परिवहन गलियारों में मादक पदार्थों की तस्करी पर निगरानी, अंतरराज्यीय समन्वय तथा पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी), हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो तथा अन्य केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आसूचना जुटाने, परिचालन संबंधी निगरानी और अंतर-एजेंसी समन्वय के माध्यम से अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के मुद्दे की निरंतर निगरानी की जाती है। हरियाणा से होकर गुजरने वाले विभिन्न अंतर्राज्यीय मार्गों के उपयोग सहित अवैध मादक पदार्थ तस्करी के उभरते रुझानों

का नियमित रूप से आकलन किया जाता है। तथापि, किसी भी राज्य को स्थायी पारगमन मार्ग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तस्करी के पैटर्न परिवर्तनशील होते हैं तथा खुफिया सूचनाओं और प्रवर्तन कार्रवाइयों के आधार पर उनका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इस मुद्दे की नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) प्रणाली के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है तथा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत समन्वित कार्रवाई हेतु कार्रवाई योग्य आसूचना को संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2017 से मादक पदार्थ की जब्ती के विस्तृत आंकड़े एकत्र करना शुरू कर दिया है। हालांकि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के जिला-वार आंकड़े एकत्र नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2024 के संबंध में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में वर्ष 2017 से 2024 के दौरान हेरोइन, सिन्थेटिक मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों सहित जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा अनुलग्नक-I में दी गई है तथा हरियाणा में वर्ष 2017 से 2024 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की जिला-वार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

(घ) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्कों की पहचान करने तथा उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया सूचनाओं का निरंतर विश्लेषण करता है। तस्कर पकड़े जाने से बचने के लिए प्रायः अपने मार्गों तथा कार्यप्रणाली में परिवर्तन करते रहते हैं। समन्वित प्रवर्तन कार्रवाई के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना नियमित रूप से संबंधित राज्य एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के साथ साझा की जाती है। इसके अलावा, दिनांक 23.02.2026 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के उप महानिदेशक (एनडब्ल्यूआर) की अध्यक्षता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ तथा जम्मू और कश्मीर के एएनटीएफ/राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के प्रतिनिधियों तथा संबंधित केंद्रीय एजेंसियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, ताकि मादक पदार्थ संवेदनशील क्षेत्रों, प्रवेश/निकास बिंदुओं, तस्करी मार्गों तथा मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त समूहों/गिरोहों की पहचान की जा सके। बैठक के दौरान मादक पदार्थ संवेदनशील क्षेत्रों तथा तस्करी मार्गों के जिला-वार मानचित्रण, संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्कों की पहचान तथा आसूचना-आधारित निगरानी को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया।

(ङ) सरकार ने हरियाणा राज्य सहित देश में, मादक पदार्थ-रोधी निगरानी, अंतर्राज्यीय समन्वय तथा मॉनीटरिंग को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

लोक सभा अता. प्र.सं. 2674, दिनांक 04.08.2026

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए चार-स्तरीय (केंद्रीय स्तर पर शीर्ष तथा कार्यकारी समितियां और राज्य स्तर पर राज्य तथा जिला स्तरीय समितियां) नार्कों-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) स्थापित किया गया है। वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा राज्य में 2 राज्य स्तरीय एनकॉर्ड बैठकें आयोजित की गईं तथा वर्ष 2026 (दिनांक 31.05.2026 तक) में 1 राज्य स्तरीय एनकॉर्ड बैठक आयोजित की गई। वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा के जिलों में कुल 234 जिला स्तरीय एनकॉर्ड बैठकें आयोजित की गईं तथा वर्ष 2026 (दिनांक 24.07.2026 तक) में 103 जिला स्तरीय एनकॉर्ड बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(ii) एनसीबी द्वारा विकसित एनकॉर्ड पोर्टल जिला स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक के सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक व्यापक गेट-वे तथा ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

(iii) अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया गया गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थ अपराधियों का राष्ट्रीय एकीकृत डाटाबेस (निदान) सभी गिरफ्तार एनडीपीएस अपराधियों का एक एकीकृत डाटाबेस उपलब्ध कराता है तथा इसका उपयोग एनसीबी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राज्य पुलिस तथा अन्य एजेंसियों द्वारा सक्रिय पुलिसिंग तथा अन्वेषण में सहायता के लिए किया जाता है।

(iv) संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें राज्य में मादक पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की जांच पर चर्चा करने के लिए सभी संबंधित केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियां भाग लेती हैं। बेहतर अंतर-एजेंसी समन्वय के लिए एनसीबी द्वारा अब तक हरियाणा राज्य तथा अन्य निकटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 04 राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय उप-समिति बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(v) एनकॉर्ड तथा बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी/एसएमएसी) तंत्रों के माध्यम से एनसीबी, हरियाणा पुलिस तथा अन्य मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) के बीच नियमित रूप से आसूचना साझा की जाती है। इसके अलावा, मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा तथा एनसीबी द्वारा संयुक्त अभियान संचालित किए जाते हैं।

(vi) सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई वित्तीय जांच के परिणामस्वरूप वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा में 98 मामलों में 14.33 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों को फ्रीज/जब्त किया गया तथा वर्ष 2026 (मई तक) में 40 मामलों में 6.54 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियों को फ्रीज/जब्त किया गया।

(vii) एनसीबी ने हरियाणा में सक्रिय आदतन मादक पदार्थ अपराधियों की एक सूची हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ साझा की है। मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) ने स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी रूप से उपयोग किया है तथा वर्ष 2025 के दौरान हरियाणा में 75 आदतन मादक पदार्थ अपराधियों तथा वर्ष 2026 (जून तक) में 10 आदतन मादक पदार्थ अपराधियों के विरुद्ध डिटेन्शन आदेश लागू किए गए हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2674, दिनांक 04.08.2026
अनुलग्नक-।

हरियाणा में वर्ष 2017 से 2019 के दौरान जब्त की गई हेरोइन, सिंथेटिक मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों सहित मादक पदार्थों की मात्रा

क्र.सं.	मादक पदार्थ शीर्ष	2017			2018			2019		
		किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	9648.763	0	0.000	10258.496	0	0.000	10653.531	0	0.000
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	4518.972	0	0.000	5946.345	0	0.000	5721.889	0	0.000
3	कोकीन (किग्रा. में)	0.027	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
4	मनःप्रभावी पदार्थ	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	14.000	361972	337.900	1.922	687359	1255.123	1.858	891996	36479.200
6	ड्रग प्रीकर्सर - एसिटिक एनहाइड्राइड	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	पोस्त के पौधे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अन्य मादक पदार्थ	513.200	0	1.500	26.744	40066	2.600	428.950	135	0.000
	कुल	**14694.962**	**361972**	**339.400**	**16233.507**	**727425**	**1257.723**	**16806.228**	**892131**	**36479.200**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

हरियाणा में वर्ष 2020 से 2021 के दौरान जब्त की गई हेरोइन, सिंथेटिक मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों सहित मादक पदार्थों की मात्रा

क्र.सं.	मादक पदार्थ शीर्ष	2020			2021		
		किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	12942.776	0	0.000	8148.035	0	0.000
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	9523.579	0	0.000	12307.425	0	0.000
3	कोकीन (किग्रा. में)	0.001	0	0.000	0.000	0	0.000
4	मनःप्रभावी पदार्थ	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	53.882	1666724	2197.800	52.070	1035257	612.100
6	ड्रग प्रीकर्सर - एसिटिक एनहाइड्राइड	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-
8	पोस्त के पौधे	-	-	-	-	-	-
9	अन्य मादक पदार्थ	2175.364	187	0.000	806.076	2200	83.000
	कुल	**24695.602**	**1666911**	**2197.800**	**21313.606**	**1037457**	**695.100**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2674, दिनांक 04.08.2026
अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2022 से 2024 के दौरान हरियाणा में जब्त की गई हेरोइन, सिंथेटिक मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों सहित मादक पदार्थों की मात्रा

क्र.सं.	मादक पदार्थ शीर्ष	2022			2023			2024		
		किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	11195.491	0	0.000	18076.934	0	0.000	15768.534	0	0.000
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	13642.608	0	0.000	6145.938	0	0.000	8895.155	0	0.000
3	कोकीन (किग्रा. में)	0.022	0	0.000	0.141	0	0.000	0.382	0	0.000
4	मनःप्रभावी पदार्थ	0.000	0	0.000	0.541	0	0.000	0.118	0	0.000
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	81.003	812285	974.450	26.300	490292	2511.100	8.486	1042026	4877.440
6	ड्रग प्रीकर्सर - एसिटिक एनहाइड्राइड	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-	0.000	48	0.000
8	पोस्त के पौधे	-	-	-	-	-	-	0.000	1892	0.000
9	अन्य मादक पदार्थों	30.240	66602	6.000	1307.147	46533	0.000	933.873	0	0.000
	कुल	**24949.364**	**878887**	**980.450**	**25557.001**	**536825**	**2511.100**	**25606.549**	**1043966**	**4877.440**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2674, दिनांक 04.08.2026
अनुलग्नक-।।

हरियाणा में वर्ष 2015 से 2024 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए जिला-वार मामले

क्र.सं.	जिला	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	अंबाला	47	101	75	114	129	107	92	143	169	116
2	भिवानी	28	47	38	80	105	63	64	100	67	58
3	फरीदाबाद	47	68	56	69	62	134	243	362	355	356
4	फतेहाबाद	221	312	271	277	380	328	202	246	219	219
5	जीआरपी	40	38	62	53	52	31	33	53	58	48
6	गुरुग्राम	37	72	113	99	168	225	107	169	267	276
7	हिसार	52	95	100	91	77	163	145	190	151	115
8	झज्जर	76	59	89	96	35	38	101	144	174	86
9	जींद	84	114	79	104	78	83	65	83	99	76
10	कैथल	136	199	136	113	130	132	124	134	100	83
11	करनाल	116	200	244	209	98	125	198	280	163	142
12	कुरुक्षेत्र	85	86	168	209	140	167	133	232	222	215
13	महेंद्रगढ़	5	13	16	21	18	27	34	46	68	67
14	नूंह	1	4	3	7	13	29	18	44	50	56
15	पलवल	17	24	0	13	11	33	22	58	118	71
16	पंचकूला	51	69	65	41	51	57	85	126	138	118
17	पानीपत	108	110	93	62	151	104	111	123	122	115
18	रेवाड़ी	11	12	25	40	43	53	51	86	116	66
19	रोहतक	73	64	78	131	111	159	162	175	150	112
20	सिरसा	311	231	200	403	587	722	446	624	593	305
21	सोनीपत	80	77	101	137	71	91	112	124	134	102
22	यमुनानगर	19	37	101	128	93	104	128	171	181	198
23	सिंचाई और बिजली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	चरखी दादरी	-	-	31	20	18	26	26	57	35	36
25	हांसी	-	-	56	70	56	59	39	45	59	49
26	डबवाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
	कुल	**1661**	**2032**	**2200**	**2587**	**2677**	**3060**	**2741**	**3815**	**3808**	**3325**

स्रोतः क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)